कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद शाहजहाँपुर

पत्रांकः उ–1/सी0एफ0ओ0(उद्योग)–2015 दिनांक:दिसम्बरः 02,2017

सेवा में,

अधिकृत हस्ताक्षरी
बजाज एनर्जी लि0
मकसूदापुर–जनपद शाहजहाँपुर

विषयः–मैसर्स बजाज एनर्जी लि0 ग्राम मकसूदापुर तहसील पुवायाँ शाहजहाँपुर स्थित 2X 45 मेगावाट थर्मल पॉवर प्लाण्ट के अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बनध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र दिनांकः17.11.2017 अधोहस्ताक्षरी कार्यालय प्राप्त दिनांकः22.11.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मैसर्स बजाज एनर्जी लि0 ग्राम मकसूदापुर तहसील पुवायाँ शाहजहाँपुर स्थित 2X 45 मेगावाट थर्मल पॉवर प्लाण्ट के अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण की अपेक्षा की गई है।

अतः उक्त प्रश्नगत प्लाण्ट का अग्नसुरक्षा दृष्टिकोण से आपरेशन मेन्टीनेंस मैनुवल के अनुसार भौतिक रूप से निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी,शाहजहाँपुर से कराया गया। प्रश्नगत प्लाण्ट बण्डा बिलसण्डा रोड पर स्थित है जहाँ पर फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ–जा सकते है। प्रश्नगत प्लाण्ट के सैटबैक ,स्टेयरकेस, एवं मुख्य द्वार भवन निर्माण विकास उपविधि–2008 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार पाये गये। पॉवर प्लाण्ट आपरेशन मेन्टीनेंस मैनुवल एवं फायर प्लान के अनुसार अग्निसुरक्षा व्यवस्थायें जैसे–आटोमेटिक प्रेशराइज्ड हाइड्रेण्ट्स सिस्टम,फायर वाटर पम्प,अग्निशमन उपकरण,अग्निशमन कार्य हेतु जल संसाधन एण्ड स्पेमेंस,फायर अलार्म सिस्टम इन टी0जी0 बिल्डिंग,फायर वाटर पम्प प्राइमिंग सिस्टम कार्यशील दशा में स्थापित पाये गये। फैक्ट्री में स्थापित अग्निशमन उपकरणों का अनुरक्षण कराकर निर्धारित शुल्क ट्रेजरी चालान द्वारा राजकीय कोषागार में जमा करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्था के रख रखाव,ड्रिल एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी अभिलेख अद्यतन पाये गये।

अतः अग्निशमन अधिकारी,शाहजहाँपुर की संस्तुति आख्या के आधार पर मैसर्स बजाज एनर्जी लि0 ग्राम मकसूदापुर तहसील पुवायाँ शाहजहाँपुर स्थित 2X 45 मेगावाट थर्मल पॉवर प्लाण्ट के अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण वर्ष–2017 हेतु निम्नॉकित शर्तो के अधीन किया जाता है–

1.पावर प्लाण्ट में स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखा जायेगा।

2.पॉवर प्लाण्ट में कार्यरत स्टाफ को अग्निशमन उपकरण चलाने एवं एवं उसका रख–रखाव का अभ्यास कराया जाये।

3.थर्मल प्लाण्ट में उपस्थित फायर स्टाफ के प्रशिक्षण एवं अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं के मेंटीनेंस हेतु एक फायर आफीसर नियुक्त किया जाये।

4. पावर प्लाण्ट में प्रत्येक छः माह के अन्तर्गतफायर मॉक ड्रिल आयोजन अवश्य कराया जाये।

5.पॉवर प्लाण्ट के प्रवेश/निकास मार्ग सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे।

6.संस्थान में स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन अग्निशमन विभाग से प्रत्येक वर्ष कराकर चैकिंग शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोष में जमा कराते हुये अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराना होगा।

7.अग्निसुरक्षा व्यवस्थायें समय–समय पर यथा संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में उल्लेखित विधि के अनुरूप ही स्थापित करानी होंगी।

कृ0पृ0उ0–02

8. प्रश्नगत पावर प्लाण्ट के नियंत्रण कक्ष में महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बरों की सूची सुव्यवस्थित रखी जायेगी।
9. ऑन/ऑफ साइट प्लान,मॉक ड्रिल कार्य योजना बनाका क्रियान्वित की जाये।
10. अग्निशमन के सभी उपकरणों एवं अग्नि से सुरक्षा के सभी उपायों की एस0ओ0पी0 बनायी जाये।
11. आपदा प्रवंधन योजना बनाकर कियाव्ति कराया जाये।
12. वर्क परमिट की व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाये।
13. प्रत्येक वर्ष वाह्य/आन्तरिक अग्निसुरक्षा व्यवस्था का आडिट कराया जाये।
14. संस्थान में विद्युत वायरिंग को कार्यक्षमता के अनुसार सदैव तकनीकी रूप से सुदृढ रखा जाये।
15. निर्गत किया जा रहा नवीनीकरण प्रमाण पत्र दिनांक:31.12.2018 तक वैध होगा।

उपरोक्त शर्तों का पालन करने एवं कराने की जिम्मेदारी स्वयं कारखाना प्रवंधन की होगी यदि अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में प्रदत्त किये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो नवीनीकृत किया जा रहा अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

02/12/17

(रेहान अली)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
शाहजहॉपुर

प्रतिलिपिः–1.अग्निशमन अधिकारी,शाहजहॉपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2.यूनिट हेड, बजाज एनर्जी लि0ग्राम मकसूदापुर तहसील पुवायॉ जनपद शाहजहॉपुर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ ।